



सं०-डीएआर./वाराणसी/2021/08/00379/जॉच

दि० 21-12-21

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

विषय: मंडल के विभिन्न सीटीआई कार्यालयों में पदस्थापित मुख्य टिकट निरीक्षक के अतिरिक्त अन्य चल टिकट परीक्षकों (मुटिनि./उपमुटिनि) के कार्यालय/टीटीई लॉबी में कार्य किए जाने के संबंध में।

विषयांकित सतर्कता निवारक जॉच सीटीआई. कार्यालय/गोरखपुर (पूर्व)/में की गयी। उक्त जॉच ने यह तथ्य प्रकाश में आया कि -

सीटीआई. कार्यालयों में पदस्थापित प्रभारी के अतिरिक्त ग्राउंडिंग/कैश डिबार की परिस्थितियों को छोड़कर अन्य ऐसे भी मुटिनि./उपमुटिनिकों से कार्यालय/टीटीई लॉबी में कार्य लिया जा रहा है; जिसके संबंध में न तो कोई कार्यालय आदेश है और न ही ऐसे कार्यरत कर्मचारियों का कार्यालय अथवा टीटीई लॉबी में कार्य करने का कारण सेवा-निवृत्ति की समीपता अथवा अन्य खराब स्वास्थ्य कारण आदि ही हैं। कार्यालय के प्रभारी द्वारा यह बताया गया कि ऐसे कर्मचारियों से वरिमंवाप्र/मंवाप्र. के मौखिक आदेश के तहत कार्य लिया जा रहा है। उक्त से स्पष्ट है कि कर्मचारियों को कार्यालयीय कार्य कराये जाने का निर्णय मनमाने रूप (Arbitrary) में भी हो सकता है। जॉच में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि चल टिकट परीक्षकों के सेवा-निवृत्ति होने की तिथि से कितने माह पूर्व उनको जारी की गयी ईएफटी कार्यालय में जमा करवाकर कार्यालय अथवा टीटीई लॉबी में ड्यूटी लिया जाना है; उक्त के संबंध में भी कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश अथवा कार्यालय आदेश जारी नहीं है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए 'पद्धति सुधार' (System Improvement) के तौर पर निम्न कार्यप्रणाली लागू किया जाना अपेक्षित होगा:-

- मंडलों के विभिन्न सीटीआई कार्यालयों में सीटीआई के अतिरिक्त अन्य मुटिनि./उपमुटिनिकों के कार्यालय/टीटीई लॉबी में कार्य करने हेतु कार्यालय आदेश आवश्यकतानुसार वरिमंवाप्र/मंवाप्र के अनुमोदन से जारी किया जाय, ताकि उक्त प्रकार से कार्य कर रहे चल टिकट परीक्षकों से मनमाने ढंग से कार्यालय/लॉबी ड्यूटी में कार्य न कराकर गाड़ियों को मैनड करवाने का प्रमुख कार्य लिया जा सके। उक्त से रेल राजस्व में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने के साथ ही साथ अन्य संबंधित किसी प्रकार के परिवाद की स्थिति भी उत्पन्न नहीं हो सकेंगी।
- चल टिकट परीक्षकों के सेवा-निवृत्ति होने की तिथि से कितने माह पूर्व उनको जारी की गयी ईएफटी कार्यालय में जमा कर टीटीई लॉबी अथवा कार्यालयी ड्यूटी लिया जाना है। उक्त से संबंधित भी स्पष्ट दिशा-निर्देश कार्यालय से जारी करवाया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त का अनुपालन कराये जाने का सादर अनुरोध है।

(Handwritten Signature)
21.12.21
(जि० पी० सिंह)

उपमुसताधि/यातायात
कृते महाप्रबन्धक सतर्कता